प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

(माननीय श्री न्याय मूर्ति प्रींतिकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 2373 वर्ष 1997

अपीलकर्ता भुवनेश्वर साहू

विरूद्ध

प्रत्यर्थी मध्यप्रदेश राज्य

निर्णय के उद्घोषणा हेतु दिनांक 23.08.2012 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर/-

श्री प्रींतिकर दिवाकर

न्यायमूर्ति

22.8.2012

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्याय मूर्ति प्रींतिकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 2373/1997

अपीलकर्ता भुवनेश्वर साहू

विरूद्ध

` प्रत्यर्थी मध्यप्रदेश राज्य

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता: सुश्री दिपाली पाण्डेय।

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता: श्री विवेक शर्मा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 दण्ड प्रक्रिया संहिता

निर्णय

(23.08.2012)

यह अपील दिनांक 07.11.1997 के निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा, जिला दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 76/1989 को पारित किया गया, जिसके द्वारा अभियुक्त्/अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (1) के अंतर्गत दोष सिद्ध करते हुए उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,000/-रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, तथा अर्थदण्ड न

चुकाये जाने के . xव्यतिक्रम में अतिरिक्त छह माह के सश्रम कारावास से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यो के अनुसार दिनांक 13.09.1988 को लगभग दोपहर 2:15 बजे, प्राथमिकी (प्र.पी.-6) अभियोजन पक्ष की साक्षी (अ.स.- 4), जो लगभग 30 वर्ष आयु की एक विवाहित महिला है, द्वारा दर्ज कराई गई। उक्त प्राथमिकी में यह आरोप अंकित है कि दिनांक 12.09.1988 को प्रातः लगभग 11:00 बजे, जब वह अपने निवास के आंगन में जलावन लकड़ी एवं उपले (गोबर के कंडे) एकत्रित करने हेतु गई हुई थी, तभी अभियुक्त/अपीलकर्ता पीछे से आया तथा उसने उस का मुंह दबा दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसने उसे जमीन पर लिटा दिया तथा उसकी साड़ी को उपर उठाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित किया। यह भी आरोप है कि उसकी चीख-पुकार सुनकर उसकी मौंसी खेत हरिनबाई (अ.स.- 7) वहां आ पहुंची, जिस पर अभियुक्त/अपीलकर्ता घटना-स्थल से भागने लगा। उक्त दौरान उसे खेतहरिन बाई (अ.स.-7), ललित (अ.स.-8) तथा एक विष्णु नामक व्यक्ति द्वारा देखा गया।

तत्पश्चात् ने अभियोजिका उक्त घाटना का विवरण खेतहरिन बाई (अ.स.-7) को बताया। इसके उपरांत, जब उसके माता-पिता एवं बहन खेत से वापस लौटे, तब उसने उन्हें भी घटना की जानकारी दी। आगे यह भी कथित है कि उसके पिता द्वारा बुलाये जाने पर पति, जो उस समय किसी अन्य गांव में निवासरत था, वह भी वहाँ आ गया और उसके पश्चात् प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अभियोजिका का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 15.09.1988 (प्र.पी.-6 ए) के माध्यम से किया गया। परीक्षण पूर्ण होने के उपरांत पुलिस द्वारा दिनांक 17.10.1986 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के

अंतर्गत् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त धारा के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित किया गया ।

3. अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण के समर्थन में 11 साक्षियों की परीक्षण कराया है। अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत भी अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन किया तथा स्वयं निर्दोष होना एवं प्रकरण में मिथ्या फसाए जाने का अभिवाक किया।

इसके अतिरिक्त, कुशल मांजी चौहान (बचाव साक्षी- 1) एवं नोफिल (बचाव साक्षी-2) नामक दो साक्षियों की परीक्षा बचाव पक्ष द्वारा अपने प्रकरण के समर्थन में की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किया तथा इस निर्णय की कंडिका क्र. 1 में उल्लिखित दंडादेश से दण्डित किया।

5. अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने में 24 घंटे से अधिक का अत्याधिक विलंब हुआ है, जिसका अभियुक्त/अपीलार्थी पक्ष द्वारा संतोषजनक रूप से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी तर्क किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी को इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फंसाया गया है तथा चिकित्सा प्रतिवेदन भी अभियोजन पक्ष के प्रकरण की पुष्टि नहीं करता है।

6. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया तथा यह तर्क किया कि प्राथमिकी दर्ज करने में 24 घंटे के विलंबता को आपधिज्ञ नहीं कहा जा

सकता, क्योंकि साक्ष्य में यह आया है कि अभियोक्त्री ने अपने पति को जो किसी अन्य गांव में रहते थे, फोन करने के पश्चात् उनके साथ पुलिस थाने जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि एफएसएल प्राथमिकी (प्रदर्श.पी 12) में अभियोक्त्री के साड़ी, पेटीकोट तथा योनि स्लाइडो पर वीर्याणु पाए गए, तथा ऐसी स्थिति में अभियुक्त/अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दोषसिद्धि पूर्णतः न्यायोचित है। राज्य पक्ष के अधिवक्ता ने आगे यह भी निवेदन किया कि बचाव पक्ष द्वारा दस्तावेज पर ऐसा कोई तथ्य नहीं लाया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियोक्त्री अभियुक्त/अपीलकर्ता को झूठे मामले में फंसाने का कोई कारण रखती हो।

7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सुनवाई की तथा दस्तावेज पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अभियोक्त्री (अ.स.-4) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि घटना की तिथि पर जब वह अपने घर के आंगन में जलाऊ लकड़ी तथा गोबर के उपले एकत्र करने गई थी, तब अभियुक्त/अपीलकर्ता वहां आया, उसने अभियोक्त्री के हाथों को साड़ी से बांध दिया तथा उनसे छेड़छाड़ करना प्रारंभ कर दिया। अभियोक्त्री ने आगे यह भी कथन किया है कि तब उन्होंने चिल्लाने का प्रयास किया, तो अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उनके मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा ठूंस दिया तथा उसके पश्चात् उनके वस्त्रों को उलट पलट कर उनके साथ बलपूर्वक लैगिंक संभोग किया और स्खलन के फलस्वरूप उनके पेटीकोट पर वीर्य के धब्बे लग गए। इस साक्षी के अनुसार, अभियुक्त/अपीलकर्ता के द्वारा बलात्कार किए जाने के पश्चात्, अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा घटना स्थल छोड़ने पर उसके चीखने की आवाज सुनते ही उसकी मौसी खेथरिन बाई (अ.स.-7) घटना स्थल पर पहुंच गई। ललित (अ.स.-8) तथा एक विष्णु नामक व्यक्ति भी उक्त समय पर वहां

पहुंचे होने के रूप में कथित है। अभियोक्त्री ने अपनी मौसी को घटना की सूचना दी। उसके पति दो दिन बाद घर लौटे तथा अभियोक्त्री ने घटना की जानकारी अपने पिता को भी दी। दूसरे दिन पर प्रथम सूचना प्राथमिकी (प्र.पी. 6) दर्ज की गई।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि ललित (अ.स.- 8) कहीं दूसरी जगह निवास कर रहा था तथा घटना के समय गोमती, पुष्पा एवं रेखा नामक बच्चे घर में उपस्थित थे। इस साक्षी के अनुसार, घटना के समय उसका एक भाई विद्यालय गया हुआ था, दूसरा राशन की दुकान पर गया हुआ था, जबकि उसके माता-पिता खेत में गए हुए थे।

उसने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने जमीन पर गिराकर उसके मुंह में उसने साड़ी का भाग ठूंस दिया। जिसके फलस्वरूप वह चिल्ला नहीं सकी। इस साक्षी के अनुसार, अभियुक्त/अपीलकर्ता ने प्रारंभ में उससे यौन अनुग्रह की मांग करते हुए लगभग 5-6 मिनट तक बात की । तत्पश्चात् उसने उसे चूमा तथा उसके बाद उसकी साड़ी एवं पेटीकोट उपर उठाकर लगभग 10 मिनट तक उसके बलपूर्वक साथ लैंगिक संभोग स्थापित किया। साक्षी के कथनानुसार जान की धमकी दिए जाने के कारण उसने अभियुक्त के कृत्य का कोई प्रतिरोध नहीं किया।

उसके साथ बलात्कार करते समय अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उसके कंधों को पकड़े रखा तथा उसके पैरों को अलग कर दिया। इस अवधि के दौरान उसने अभियुक्त को न तो खरोंचा, न काटा और न ही उसे लात मारी। साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि तत्समय पर उसने कॉच की चूड़ियां पहन रखी थी, जो टूटी नहीं। उक्त साक्षी ने यह कथन किया कि उसे कोई शारीरिक चोट नहीं हुई। उसके अनुसार उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि खेथारिन बाई ने अभियुक्त/अपीलार्थी को उसके घर से बाहर निकलते हुए देखा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह भी अभिलेखित है कि उक्त साक्षी ने पुलिस के समक्ष बयान दी थी कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा उसके हाथ बांध दिए गए थे तथा उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे मौन कर दिया गया था, तथापि यदि उक्त तथ्य प्राथमिकी (एफआईआर) में उल्लिखित नहीं है, तो इसके संबंध में कारण बताने में वह असमर्थ रही।

उसके कथनानुसार, घटना के समय उसके द्वारा पहना गया पेटीकोट दागदार हो गया था। अपने साक्ष्य की कंडिका 12 में उसने यह अभिकथन किया है कि घटना के उपरांत उसने अपने पेटीकोट को दो बार धोया था। उक्त साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि चूंकि घटना स्थल बाहरी व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता था, अतः अभियुक्त/अपीलार्थी उसे एक कोने में ले गया तथा उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक संभोग किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कंडिका क्रमांक 18 में उक्त साक्षी ने यह कथन किया है कि जिस स्थान पर घटना घटित हुई, वह जगह उबड़-खाबड़ थी, तथापि कंडिका क्रमांक 8 में उसने यह भी कहा है कि उसे कोई शारीरिक चोट नहीं पहुंची।

हिरदाराम (अ.स.-1) जो कि प्र.पी. क्रमांक -1 एवं प्र.पी. क्रमांक -2 के अंतर्गत की गई जब्ती के साक्षी हैं, ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन किया है। पुनाराम (अ.स.--2) एवं चंद्रिका प्रसाद शिवहरे (अ.स.--3), जो क्रमशः प्रदर्श क्रमांक प्र.पी. क्रमांक-3 एवं प्र.पी. क्रमांक -4 के अंतर्गत की गई जब्ती के साक्षी है, ने कोई विशिष्ट कथन नहीं किया है।

दावराम (अ.स.--5) जो कि अभियोक्त्री के पिता है, ने अपने कथन में अभिव्यक्त किया है कि घटना के दिन शाम के जब वह अपने घर पर पहुंचे, तब उन्हें उनकी पत्नी भुलिनबाई (अ.स.--6) द्वारा उक्त घटना के संबंध में अवगत कराया गया कि उसकी पुत्री अभियोक्त्री के साथ अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा बलात्कार किया गया था,

तत्पश्चात् प्रतिवेदन दर्ज कराया गया। भुलिनबाई (प्र.पी.--6) जो अभियोक्त्री की माता है, ने कथन किया है कि घटना की तिथि को जब वह शाम को घर लौटी, तो उनकी पुत्री (अभियोक्त्री) ने उन्हें बताया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसके घर में चोरी की है। यह साक्षी बाद में (पक्षद्रोही) घोषित की गई। तथापि प्रति-परीक्षण में उसने यह कथन किया कि अभियोक्त्री रो रही थी और उसने उसे बताया कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक संभोग किया गया, जो खेथारिन बाई (अ.सा.-7) को देखकर घटना स्थल से भाग गया। खेथारिन बाई (अ.सा.-7) ने कथन किया है कि उसने अभियोक्ती की चीख पुकार नहीं सुनी थी और जब वह घटना की तिथि को घर लौटी तो बच्चे ''चोर चोर'' चिल्ला रहे थे। इस अवस्था में उसे भी पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रति-परीक्षण में इस साथी ने यह कथन किया कि अभियोक्त्री ने उसे अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा बलात्कार किए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी। ललित कुमार (अ.सा. -8) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। एस.के.ए. नकवी (अ.सा.-9) अन्वेषण अधिकारी है, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का विधिवत् समर्थन किया है। डॉ. (श्रीमती) एन.खान (अ.सा.-10) वह साक्षी है, जिन्होंने अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण किया और अपनी प्राथमिकी प्रदर्श पी.-6ए यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि, जिसमें उन्होंने यह कथन किया कि उन्हें उसके शरीर पर कोई चोट/क्षति नहीं मिली तथा वह लैंगिक संभोग की अभ्यस्त थी। डॉ. (श्रीमती) के.पी. क्रिश्यिन (अ.सा.-11) वह महिला चिकित्सक है जिनसे डॉ. (श्रीमती) एन.खान (अ.सा.-10) द्वारा निश्चित राय मांगी गई थी, किन्तु उन्होंने वह राय इस आधार पर नहीं दी कि उन्हें सूचना विलंब से प्राप्त हुई। कोमलाल (ब.सा.1) ने कोई विशिष्ट कथन नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इस प्रकार समस्त साक्षियों के बयान, विशेषकर अभियोक्त्री के बयान का परिशीलन करने पर जो अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है, वह यह है कि वह अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा किए गए कृत्य में सहमति प्रदान करने वाली पक्षकार थी। स्वयं अभियोक्त्री ने कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने सर्वप्रथम उससे यौन प्रस्ताव की मांग करते हुए चर्चा की, जो लगभग 5-6 मिनट तक चली, तत्पश्चात् उसने उसे चूमा और उसके बाद उसकी साड़ी एवं पेटीकोट को उपर उठाकर उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक संभोग किया जो लगभग 10 मिनट तक चला।

उसके कथन से यह भी स्पष्ट होता है कि जहां वे दोनों बातचीत कर रहे थे वह स्थान बाहर से दिखाई देता था, इस कारण अभियुक्त/अपीलार्थी उसे एक कोने में ले गया और तत्पश्चात् उसके साथ लैंगिक संभोग किया । अभियोक्त्री के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि जब अभियुक्त/अपीलार्थी उसके साथ बलात्कार कर रहा था, तब उसने प्रतिरोध के चिन्ह के रूप में उसे न तो खरोंचा, न काटा और नही लात मारी। यहां तक कि सुसंगत समय पर उसके द्वारा पहनी गई कॉच की चूड़िया टूटी नहीं तथा उसे कोई भी शारीरिक चोट नहीं आई, जो यह भी प्रदर्शित करता है कि उसने अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा किए गए उक्त कृत्य के विरूद्ध कोई विरोध व्यक्त नहीं किया। स्वयं अभियोक्त्री ने कथन किया है कि जिस स्थान पर अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया, वह स्थान उबड़-खाबड़ था, तथापि उसके शरीर पर किसी प्रकार कोई चोट न पाया जाना इस तथ्य को और अधिक पुष्ट करता है कि वह सहमति देने वाली पक्षकार थी।

इसके अलावा अभियोक्त्री की माता (अ.स.--6) ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। खेथरिन बाई (अ.स.--7) तथा ललित कुमार (अ.स.--8) जिनको देखकर अभियुक्त/अपीलार्थी के घटना स्थल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छोड़कर भाग जाने का कथन किया गया है, उन्होंने भी अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है इसके अलावा विष्णु जिसे देखकर अभियुक्त/अपीलार्थी के भाग जाने का कथन है, उसे अभियोजन द्वारा परीक्षित किया गया है।

अभियोक्त्री की माता (अ.स.--6) के अनुसार प्रारंभ में अभियोक्त्री ने उसे बताया कि कोई चोर उसके घर में प्रवेश कर गया था, तत्पश्चात् उसने यह भी कहा कि अभियोक्त्री ने उसे अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा बलात्कार किए जाने के संबंध में भी बताया। न्यायालय में न्यायालयीन कथन में अभियोक्त्री ने यह कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा उसके दोनों हाथ बांध दिए गए थे, किन्तु प्रथम सूचना प्रतिवेदन में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। यद्यपि अभियोक्त्री ने यह कहा है कि उसने बलात्कार की घटना के संबंध में अपनी मौसी खेथरिन बाई (अ.स.--7) को अवगत कराया था, तथापि उक्त मौसी (अभियोक्त्री की मौसी)(अ.स.--7) ने स्पष्ट असंदिग्ध रूप से यह कथन किया है कि अभियोक्त्री द्वारा उसे इस प्रकार की कोई बात नहीं बताई गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री के अनुसार उसकी मौसी (अ.स.--7) उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंची थी, जबकि मौसी ने स्पष्टता यह कथन किया है कि उसने ऐसी कोई चीख-पुकार नहीं सुनी थी। अतः यह स्पष्ट होता है कि अभियोक्त्री ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन, प्रकरण डायरी में दिए गए कथन तथा न्यायालय में दिए गए बयान में तथ्यों के संबंध में एकरूपता नहीं रखी है, और उसका संपूर्ण आचरण इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि वह अभियुक्त/अपीलार्थी के उक्त कृत्य में सहमति प्रदान करने वाली पक्षकार थी।

10. उपर्युक्त को देखते हुए यह न्यायालय का सुविचारित मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष साक्षियों के साक्ष्य के अनुरूप नहीं है, अतः आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। तद्नुसार, अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है। अभियुक्त/अपीलार्थी को उस पर लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। यह अभिलिखित है कि वह जमानत पर है, अतः उसके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते है।

हस्ताक्षर/-

श्री प्रींतिकर दिवाकर

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Adv. Nikhat Shandan Jafri